(iii) The likely effect of the price policy on the rest of the economy, particularly on the cost of living, level of subsidies, cost structure, etc.

3. The Commission may also suggest non-price measures as would facilitate the achievement of the objectives set out in (2) above.

4. To recommend from time to time, in respect of different agricultural commodities, measures necessary to make the price policy effective.

5. To take into account the changes in terms of trade between agricultural and non-agricultural sectors.

6. To examine, where necessary, the prevailing methods and cost of marketing of agricultural commodities in different regions, suggest measures to reduce costs of marketing and recommend fair price margins for different stages of marketing.

7. To keep under review the developing price situation and to make appropriate recommendations, as and when necessary, within the framework of the overall price policy.

8. To undertake studies in respect of different crops as may be prescribed by Government from time to time.

9. To keep under review studies relating to the price policy and arrangements for collection of information regarding agricultural prices and other related data and suggest improvements in the same, and to organise research studies in the field of price policy.

10. To advise on any problems relating to agricultural prices and production that may be referred to it by Government from time to time.

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुये किसान

1513. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुये हैं ;

(ख) क्या इस योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि से संबंधित दावों का अब तक निपटारा हो गया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(च) इन दावों को कब तक निपटा लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है। **(नीचे देखिए)**

(ख) तथा (ग) जी हां। इस योजना का मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति गठित की गयी थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर, योजना में निम्नलिखित आशोधन लागू किये गये :

(i) बीमा की गई राशि पूर्व में 150% की ऋण राशि की व्यवस्था की तुलना में कम करके फसल ऋण के 100% तक कर दी गई जो कि अधिकतम 10,000 रुपये प्रति कृषक है ; और

(ii) उपज की परिवर्तनशीलता पर निर्भर करते हुए क्षतिपूर्ति के विभिन्न स्तर शुरु किए गए।

(घ) तथा (ङ) जी हां। खरीफ, 1993 मौसम के लिए उड़ीसा, गुजरात, पाण्डिचेरी और बिहार तथा रबी, 1993-94 मौसम हेतु आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़ सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सभी दावों का निपटारा किया गया। दावों के निपटारे में विलम्ब के कारण इस प्रकार हैं :—

(i) उड़ीसा के मामले में फसल उपज संबंधी आंकड़ों का देर से प्रस्तुतीकरण; पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के मामले में समय पर फसल उपज संबंधी आंकड़ों का प्रस्तुत न करना और पाण्डिचेरी के

मामले में संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा फसल उपज के आंकड़ों में परिशोधन ।

(ii) आन्ध्र प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के संबंध में राज्य सरकारों से एक तिहाई दावा अंश की प्रतीक्षा है ।

(iii) गुजरात के खरीफ 1993 मौसम के लिए दावे, इनकी ग्राह्यता की जांच के लिए गठित समिति के परीक्षाधीन हैं ।

(च) पांण्डिचेरी और उड़ीसा के दावे परीक्षाधीन हैं । जहां तक पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का संबंध है, रबी 1993-94 मौसम के लिए राज्य सरकारों से फसल उपज के आंकड़े प्राप्त होते ही इन दावों का निपटारा कर दिया जाएगा । आंध्र प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के मामले में दावों का निपटान संबंधित राज्य सरकारों से 1/3 अंश के प्राप्त होने के तुरंत बाद कर दिया जाएगा । गुजरात के खरीफ, 1993 मौसम हेतु 23.01 लाख रुपये की राशि के दावों का निपटान पहले ही किया जा चुका है । शेष अनुमत दावों का निपटारा समिति की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तुरंत बाद कर दिया जाएगा ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1991-92 से 1993-94 तक) के दौरान व्यापक फसल बीमा योजना (सी० सी० आई० एस०) के अन्तर्गत लाभान्वित हुए किसानों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लाभान्वित किसानो की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	507574
2	असम	3440
3	बिहार	212060
4	गोआ	281
5	गुजरात	910248*
6	हिमाचल प्रदेश	789*
7	जम्मू और कश्मीर	भाग नहीं लिया
8	कर्नाटक	52585*
9	केरल	2468
10	मणिपुर	--नहीं--
11	मध्य प्रदेश	299195 भाग नही लिया
12	महाराष्ट्र	440898
13	मेघालय	937
14	उडीसा	126081
15	राजस्थान	—नहीं— नही
16	तमिलनाड	145115
17	त्रिपुरा	--नहीं--
18	उत्तर प्रदेश	—नहीं—**
19	पश्चिम बंगाल	97455
20	अंडमान और निकोबार	1**
21	दिल्ली	—नहीं—
22	पांडिचेरी	1062
	योग :	2822406

*अनंतिम

**कोई दावे प्राप्त नही किए गये ।